संख्या- 248 /2025/ 1607 /चार-2025-1914783

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2025**

विषय:- राजभवन, लखनऊ में विभिन्न 34 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवसों के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 409/सं0नि0-15(151)/2024-25-706936, दिनांक 15 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजभवन, लखनऊ में विभिन्न 34 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित विवरणानुसार स्थापना दिवसों के आयोजन हेतु रू0 52.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	तिथि	राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम
1	21 जनवरी	1- मणिपुर 2- मेघालय 3- त्रिपुरा
2	24 जनवरी	उत्तर प्रदेश
3	26 जनवरी	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
4	20 फरवरी	1- अरूणाचल प्रदेश 2- मिजोरम
5	22 मार्च	बिहार
6	30 मार्च	राजस्थान
7	01 अप्रैल	ओडिशा
8	15 अप्रैल	हिमाचल प्रदेश
9	01 मई	1- गुजरात 2- महाराष्ट्र
10	16 मई	सिक्किम
11	30 मई	गोवा
12	02 जून	तेलंगाना
13	20 जून	पश्चिम बंगाल
14	31 अक्टूबर	1- जम्मू और कश्मीर 2- लद्दाख
15	01 नवम्बर	1- आंध्र प्रदेश 2- छत्तीसगढ़ 3- हरियाणा 4- कर्नाटक 5- केरल 6- मध्य प्रदेश 7- पंजाब 8- तमिलनाडु 9- अंडमान और निकोबार 10- चंडीगढ़ 11- दिल्ली 12- लक्षद्वीप 13- पुडुचेरी 14- उत्तराखंड 15- झारखंड

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि अन्य राज्यों के स्थापना दिवस मनाये जाने हेतु प्रति राज्य रू0 3.00 लाख व्यय अनुमानित है। जिन तिथियों में 02 या 02 से अधिक स्थापना दिवस हैं, उन तिथियों में कलाकारों की संख्या बढ़ने के कारण उक्त तिथियों में रू0 4.50 लाख का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार राजभवन, लखनऊ में उक्त आयोजनों पर होने वाले वर्ष पर्यन्त लगभग रू0 52.50 लाख का व्यय अनुमानित बताया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राजभवन, लखनऊ में उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवसों के आयोजन हेतु **रू0 52.50 लाख (रूपये बावन लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) राजभवन की अपेक्षानुसार प्रदेश के पंजीकृत कलाकारों की व्यवस्था मानकानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(12) कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त कार्यक्रम पर हुए व्यय विवरण तथा संबंधित बिल/बाउचर, प्रमाण-पत्र आदि शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-24- एक भारत श्रेष्ठ भारत -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या - 248 /2025/ 1607 (1) /चार-2025-1914783 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।